न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्र. /2017 निगरानी III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/6096

श्री ब्रजेन्द्र सिंह चौहान द्वारा आज दि0 14/12/17 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 21-12-17 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 14-12-17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. श्याम बिहारी पुत्र श्री देवीप्रयाग
2. महेश पुत्र श्री देवीप्रयाग
3. रमेश पुत्र श्री देवीप्रयाग, समस्त जाति –ब्राह्मण, समस्त निवासीगण –ग्राम पण्डापुरा, तहसील महेगाँव, जिला भिण्ड म.प्र. ....आवेदकगण

बनाम

शिवचरण पुत्र छुन्नालाल जाति बाह्मण, निवासी– नीम गाँव, तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.11.2017 पारित द्वारा न्यायालय नायाब तहसीलदार वृत अमयान तहसील मेहगाँव जिला भिण्ड के प्रकरण क्र. 2/16–17/ए–27 से असंतुष्ट होकर

राजेन्द्र सिंह चौहान

माननीय न्यायालय

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:–

1. यहकि, अनावेदक शिवचरण द्वारा अपने स्वामित्व के सर्वे नंबर 681 का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण दर्ज कर एकपक्षीय रूप से हितबद्ध पक्षकार मेड़िये एवं आवेदकगण को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकपक्षीय सीमांकन दिनांक 10.10.2017 में कर दिया गया।
2. यहकि, उक्त एकपक्षीय सीमांकन की कार्यवाही की जानकारी होने पर आवेदकगण द्वारा दिनांक 02.11.2017 में अधीनस्थ न्यायालय नायाब तहसीलदार के समक्ष धारा 35 (3) का आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 10.10.2017 की अवैधानिक कार्यवाही को निरस्त किये जाने की मांग की गई। उक्त आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(518)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/6096

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एस. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-01-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	